



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 807]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2017/फाल्गुन 30, 1938

No. 807]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2017/PHALGUNA 30, 1938

पर्यावरण, वन और वायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2017

का.आ. 897(अ).—केंद्र सरकार ने जैव-विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उप-धारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उद्देश्य से 1 अक्टूबर, 2003 को राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण नामक निकाय की स्थापना की है। 16 अक्टूबर, 2016 को चार गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण में नियुक्त करती है और इसके लिए दिनांक 22 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 262 (अ) और 31 अक्टूबर, 2013 की सं. का.आ. 3299(अ) में इस अधिसूचना की तारीख से संशोधन करती है। दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 3299(अ) में क्रम सं. 12 से 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

12. डॉ. परिमल चन्द्र भट्टाचार्जी
ए/3 आशियाना हाउसिंग काम्प्लेक्स माली गांव,
गुवाहाटी-781011, असम
13. डॉ. योगेश शौचे,
वरिष्ठ सूक्ष्मजीव विज्ञानी,
राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र,
जैव-प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला प्रभाग,
पुणे विश्वविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय रोड,
गणेशगिरि, पुणे, महाराष्ट्र-411007

14. श्री दर्शन शंकर,
कुलपति,
ट्रांसडिसिपिलिनरी यूनिवर्सिटी,
केयर ऑफ फाउंडेशन रीविटालाईजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन्स (एफआरएलएचटी),
#74/2, जरकाबंडे कवल, पोस्ट अद्यूर वाया येलाहांका,
बंगलौर-560 064
15. डॉ. दिनेश मिश्रा,
सं. 65, सेक्टर-8,
गांधी नगर, गुजरात-382008

[फा. सं. जे-22018/46/2003-सीएससी (बीसी)]

डॉ. सुजाता अरोड़ा, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी'

फुट नोट : मुख्य अधिसूचना 22 फरवरी, 2007 की सं. का.आ 262(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी और उसके पश्चात दिनांक 17 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 389(अ), दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. 3299 (अ) और दिनांक 7 मार्च, 2016 की अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2017

S.O. 897(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (4) of Section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government has established a body called the National Biodiversity Authority, on and from the 1st day of October, 2003 for the purposes of the said Act. After expiry of the term of four non-official members on 16th October 2016, the Central Government hereby appoints the following non-official members to the National Biodiversity Authority for a period of three years from the date of publication of the notification, and for that purpose amends the notification number S.O. 262(E) dated 22nd February 2007, and subsequent notification number S.O. 389(E) dated 17th February 2010, and S.O. 3299(E) dated 31st October 2013 on and from the date of this notification. On the said notification no. S.O. 3299 (E) dated 31st October 2013 for serial number 12 to 15 and the entries related thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:

- 12. Dr Parimal Chandra Bhattacharjee**
A/3 Asiyana Housing complex Maligaon,
Guwahati - 781011, Assam
- 13. Dr Yogesh Shouche**
Senior Microbiologist,
National Centre for Cell Science Department of Biotechnology Lab,
University of Pune Campus, University Road,
Ganeshkhind, Pune, Maharashtra-411007
- 14. Shri Darshan Shankar**
Chancellor
TransDisciplinary University
C/o Foundation of Revitalization of Local Health Traditions (FRLHT)
#74/2, Jarakabande Kaval, Post Attur via Yelahanka,
Bangalore - 560 064

15. Dr Dinesh Misra

No. 65, Sector 8
Gandhi Nagar, Gujarat-382008

[F. No. J-22018/46/2003-CSC(BC)]

Dr SUJATA ARORA, Adviser/Scientist 'G'

Foot Note : The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 262(E) the 22nd February, 2007 and subsequent Notification No. 389(E) dated 17th February, 2010, Notification No. 3299(E) dated 31st October, 2013 and Notification dated 7th March 2016.